दिनांक 13 अक्तूबर, 1980

क्रमांक **1702-ज-(I)-80/36365**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती जड़ावली, विधवा श्री धन्ना राम, गांव नावां की ढाणी, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला नारनौल, को खरीफ़, 1976 से खरीफ़, 1979 तक 150 रु० वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1668-ज(I)-80/36372**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री नत्थू राम वर्मा, पुत्र श्री झावर मल वर्मा, गांव हालु बजार भिवानी, तहसील व जिला भिवानी, को खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 15 अक्तूबर, 1980

क्रमांक **1701-ज(I)-80/36587**.—श्री लछमन सिंह, पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव रसूलपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की दिनांक 17 जनवरी, 1974, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री लछमन सिंह की मुब्लिक 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 342-र-(4)-66/1005, दिनांक 10 अप्रैल, 1967 तथा 5041-र-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती पुन्ना देवी के नाम खरीफ, 1974 से खरीफ़, 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1667-ज-I-80/36591**.—श्री माम राज, पुत्र श्री नौरंग लाल, गांव खटोटी खुर्द, तहसील नारनौल जिला नारनौल, की दिनांक 20 मई, 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्य पाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्री माम राज की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 435-ज(I)-78/11024, दिनांक 17 अप्रैल, 1978, द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती गुलाब देवी के नाम खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1651-ज-(II)-80/36596**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जगमाल सिंह, पुत्र श्री हजारी लाल, गांव चांदूवास, तहसील बावल, जिला नारनौल, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1650-ज-I-80/36602**.—श्री बाबू राम, पुत्र श्री तिलक राम, गांव लंडा, तहसील व जिला अम्बाला, की दिनांक 25 जनवरी, 1979, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बाबू राम की मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2451-ज-III-71/17643, दिनांक 18 जून, 1971, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती शान्ती देवी के नाम खरीफ, 1979 से 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

रघुनाथ जोशी,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।